


नमः ११००
 प्रमाणित 1908
 46-D Pro C
 भारत: का संघीय प्रमाणित
 प्रमाणित स्थाप (सं. 1829) के अनुसार
 1 का 1 का हस्ताक्षर
 प्रमाणित स्थाप
 प्रमाणित स्थाप

23 I-A With the Permission
 by L.R.D.C. Simdega
 vide memo. 444/2016-17
 order dt
 22-4-17





रोशन लकड़ा

21/06/2017


विक्रय पत्र

लेख्यकारी:- श्री रोशन लकड़ा पिता स्व० अलफोंस लकड़ा
 जाति- उराँव, पेशा- खेती गृहस्थी, साकिन मौजा- खिजरी
 पुराना सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
 आधार कार्ड संख्या 3823 7968 8841

... .. बिहारेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 285/2017

मार्गदर्शिका, पंजी से मिलान किया
 इसमें U. Res. का पर दिया गया है।


 22.7.17

जीवियार रवेल्स पिता मार्सेल खेल्स
 वयाम सामटोली थाना सिमडेगा
 जिला सिमडेगा ता: 27.7.2017

अचल हारा उचित प्रतिक्रिया
 की सूची में खाली संख्या नहीं है।
 27.7.17

§2§ लेख्यधारी:- श्री राजेश लकड़ा पिता स्व० बरनाबास लकड़ा,
जाति- उराँव, पेशा- खेती गृहस्थी, निवास ग्राम- खिजरी
पुराना सामटौली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
आधार कार्ड संख्या 6694 5697 7842

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 286 / 2017

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोघरलिंग दो लाख सत्तर हजार रुपये अर्थात् 2,70,000/-
रुपये होता है ।

§5§ सम्मति:- एराजियात दस डिसमिल जमीन अर्थात् 0.10 एकड़
जमीन हकियत कास्त कायमी रैयती खतियानी जमीन अपने हिस्से
की वाके मोजा- खिजरी, थाना नं० 105, थाना- सिमडेगा, सदर
रजिस्ट्री ऑफिस वी जिला- सिमडेगा के खाता नं० 152 एक सौ
बावन एकड़ प्लॉट नं० 2176 एकक्कीस सौ छेहत्तर एकड़ कच्चा 1.40 एकड़
में से एकड़ 0.10 एकड़ दस डिसमिल सिर्फ, वर्णित जमीन आवासीय
है जिसपर किसी प्रकार का मकान शहन या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

दक्षिण:- नीज बिक्रेता का चौरा प्लॉट नं० 2174 एवं कच्चा
रास्ता 10 फीट,

पूरब :- प्लॉट नं० 2177,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता ।

मालगुजारी 5 पैसा एक पाँच पैसा अलावे सेस सलाना ।

उक्त जमीन खिजरी सामटौली वार्ड नं० 6 में स्थित है ।

राजेश लकड़ा

ता 28/2/2017

राजेश लकड़ा, पिता- केनदिक केलेइ

शक्ति-स्वगापोस थाना-वी थाना

जिला- सिमडेगा ।

27/07/2017

॥१॥ मुझे लेख्यकारी को इस समय मकान बनाने वो अन्य खर्च हेतु रुपये की अति आवश्यकता है किन्तु रुपये पाने का कोई भिन्न उपाय नहीं है सिवाय जमीन रैयती बेचने के। फलतः मैंने उपरोक्त लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने जमीन लेना स्वीकार किया। किन्तु हम उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं फलतः मैंने जमीन बेचने की अनुमति हेतु एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के अदालत में अन्दर दफा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया। जिसका मुकदमा, रेवेन्यू सी.एन.टी. केस संख्या 444/2016-17 है। तदनुसार ज्ञापक 353॥१॥ रेवेन्यू दिनांक 22.4.2017 ई० को जमीन बेचने का अनुमति प्राप्त हुआ। मैंने वर्णित मूल्य नगद वसूल वो अदाय पाकर अपनी मन इच्छा वो शरीर की स्वस्थता में रहकर यह विक्रय पत्र केवाला लिख दिया कि प्रमाण रहे।

॥२॥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद हक एवं दखल कब्जा है तथा किसी प्रकार का भार या झगड़ा झंझट नहीं है। वर्णित जमीन के खतियानी रैयत लछन उराँव पिता लोहरा उराँव थे। वर्तमान जमाबंदीदार अलफोंस उराँव वल्द जोसेफ, उराँव हैं। तथा सरकारी मालगुजारी रसीद अलफोंस उराँव के नाम से कटती है। जो पंजी II के भोल्युम संख्या VI पेज संख्या 20 में दर्ज है। वर्णित जमीन बिक्रेता को उत्तराधिकारी के आधार पर प्राप्त है। अब से उक्त जमीन का सारा हक लेख्यधारी को हस्तान्तरित कर दिया। अब इसपर मेरा किसी प्रकार का कोई हक सरोकार रहा न रहेगा न ही मेरे किसी भी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का। खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है तथा लगान पानेवाले का नाम मैनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट मीन जानिब टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है। मैं खतियानी रैयत लछन उराँव का पोता हूँ।

15/09/2017
श्रीनिवास
22/09/2017

४ ३४ चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर दखलकार होकर वो रहकर जैसा उन्हें सुविधा हो आबाद करें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जमीन्दारी सिरिस्ते से अपने नाम दाखिल खारिज कराकर निश्चित लगान की खास रसीद लिया करें ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरुआ के तहत नहीं है ।

15/11/2017
27/11/2017

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो
बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

रौशन लकड़ा
ता. 27/07/2017



Nof.
2017



प्रमाणित किया जाता है कि विक्रित के बाप एच
के पांजा अंगुलियों का छाप मेरे समदा लिया गया

Roshan Nof
Adm 27.07.2017.

2 has letter
Ishan
Nof
2017

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो
खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

रौशन लकड़ा
27/07/2017



Nof.
2017.

प्रमाणित किया जाता है कि विक्रित के बाप एच
के पांजा अंगुलियों का छाप मेरे समदा लिया गया

Roshan Nof
Adm 27.07.2017.

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सही/-

Jammur Maj.

Adm.

प्रारूपकर्ता
तारीख:-

27.07.2017

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो छान्द रहित वो नक्सा सहित है।

टंकक
मो० मकसुद
27-7-2017

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा।

संलग्नक :-

1. विक्रेता, क्रेता एवं पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. खतियान का सत्यापित प्रति,
3. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
4. शेड्यूल का मूल प्रति,
5. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
6. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,

15410
1-1-1817

22/7/17